संख्या–599/VI-I/2010–80(1)2010

प्रेषक,

एस0एस0वल्दिया,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति अनुभाग

देहरादूनः दिनांकः 15 जून, 2010

विषयः– कृषि औद्यानिक एवं पर्यटन विकास मेला जखोली के आयोजन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–217/सं0नि0उ0/दो–3(घो0)/2010–11 दिनांक 15 मई, 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग में आयोजित होने वाले कृषि औद्यानिक एवं पर्यटन विकास मेला जखोली के आयोजन हेतु रू0 2.00 लाख (रू0 दो लाख मात्र) मात्र व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

2– उक्त धनराशि तभी आहरित/व्यय की जायेगी जबकि इस तथ्य की पुष्टि हो जाये कि उक्त मेले हेतु पर्यटन विभाग द्वारा कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है तथा धनराशि के उपयोग संबंधी समस्त स्थापित नियम एवं प्रकियायें पूर्ण हों।

3– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही सीमित रखा जाय, साथ ही जिन मदों के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने से पूर्व शासन/सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति भी अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– वित्तीय हस्त पुस्तिका (खण्ड–5) भाग–1 के अध्याय 16–क–अनुच्छेद 369 के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि तभी प्रदान की जाये जब सम्बन्धित द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुपालन का शपथ पत्र प्रदान किया जाये।

5– उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय, जिन मदों हेतु स्वीकृत की जा रही है। अन्य किसी मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

6– उक्त धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर मदवार व्यय शासन को उपरोक्त साक्ष्य के साथ आवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

7– उक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि इसी कार्यक्रम के लिए उत्तराखण्ड शासन के किसी अन्य विभाग/भारत सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं करेगी।

8– निदेशक इस आदेश के एक सप्ताह के अन्दर संस्था को धनराशि आवंटित करेंगे। इस हेतु एक समिति गठित की जायेगी।

9– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–00–102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन –03–स्वायत्तशासी संस्थाओं के अनुदान–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मानक मद के आयोजनागत पक्ष से वहन किया जायेगा।

10– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र सं0–147 (पी)/XXXVII(3)/2010 दिनांक–04 जून, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव।

599/VI-2/2010

संख्या एवं दिनांक– तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल।
3– अपर सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–4 (घोषणा अनुभाग), उत्तराखण्ड शासन।
4– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
5– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड ।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7– मुख्य कार्याधिकारी उत्तराखण्ड पर्यटन परिषद देहरादून।
8– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
9– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
10– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
11– सम्बन्धित संस्था।
12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।

150601